**220 (3) 69 लोक उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति का अनुसरण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन–म.कि.म. और पट्टे पर आवास की मंजूरी हेतु ए–1 वर्ग शहरों कोलकाता व चेन्नई के वर्गीकरण के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के परिणामस्वरूप, लोक उद्यम विभाग के 24 अक्टूबर, 1977 और 4 मार्च, 1998 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा लोक उद्यम विभाग ने उन सार्वजनिक क्षेत्रों, जहां सी डी ए का अनुसरण किया गया है, के कर्मचारियों के वेतन सहित महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ता और परिवहन भत्ता आदि में संशोधन कर सरकार के निर्णय को संप्रेषित किया था।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के 18 मई, 1998 का का.ज्ञा.सं. 2(30)/97स्था. II(ख) के अनुसरण में सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जहां सी डी ए पैटर्न लागू है, उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मकान किराया–भत्ते की मंजूरी हेतु कोलकाता व चेन्नै के प्रमुख महानगरों को ''ए–1'' श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. की प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

सरकार ने 69 ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जहां सी डी ए पैटर्न लागू है, जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य अधिकारियों के लिए पट्टे पर आवास हेतु किराये की उच्चतम सीमा में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। अनुबंध II में इसके ब्यौरे दिए गए हैं।

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत उक्त जानकारी, सी डी ए पैटर्न का अनुसरण कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जानकारी एवं तुरन्त कार्रवाई हेतु ध्यान में लायें।

**(20 जुलाई, 1998 का लो.उ.वि. का का.ज्ञा. सं. 2(42)/97–डी पी ई (डब्ल्यू सी)**